



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 794/36C
सेवा में,

दिनांक 31/05/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक सं० 1607/36सी० दिनांक 10.09.2021।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है-

क्रम सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	आर०टी०जी०एस० SBIN421154171249 दिनांक 02.06.2021 के माध्यम से रू० 1,33,100.00(एक लाख तैतीस हजार एक सौ) की धनराशि जमा करा ली गई है। (संलग्न पेडा सं-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं० 556 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	आर०टी०जी०एस० SBIN421154171249 दिनांक 02.06.2021 के माध्यम से रू० 2,65,428.00(दो लाख पैसठ हजार चार सौ अट्ठाइस) की धनराशि जमा करा ली गई है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन	अनुपालन कर लिया गया है।

	आख्या(जिसमे जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	उक्त मोटर मार्ग निर्माण के समय भू-वैज्ञानिक द्वारा किये गये सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में सभी शर्तों अनुपालन किया गया है। तथा विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में सभी शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। स्वीकार है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य है।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार - 3-3 प्रति


अधिशाली अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक / 36 सी0


दिनांकित / /

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-05-2021

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6141895542
MoEF/SG File No.	1(116)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	398528/-

Amount in Words: Three Lakh Ninety-Eight Thousand Five Hundred and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
FSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896141895542 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110033

UTR → SBIN421154171249.

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may Email helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Cont. Div. - P.W.D
Tharali (Chamoli)

Mobile No. 9837265133

सर्वोच्च अधिकारी
निर्माण विभाग, लोधी रोड, नई दिल्ली
धरली (कमोली)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र


परियोजना का नाम : विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे० सिविल, कुल 0.404 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


खण्डीय अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली, (चमोली)

FORM-I
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated-01/08/19

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.404 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Chopta to Dadugad Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Tuneda, Rains village (s) in Narayanbagar tehsils.


It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.404 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexuretoannexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


प्रभागीय वनाधिकारी
बदनाय वन प्रभाय नोपेक्षक
(चमोली)


जिला अधिकारी
(.....)
चमोली

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN


A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Swati S. Bhadoriya deputy commissioner, on dated 01/8/19 at time 2:30 PM at Chamoli in which application claiming rights in Tuneda, Rains area measuring 0.404 hect for the Construction of Chopta to Dadugad Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narayanbagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gopshwari

Dated: 01/08/19


(स्वाती स. भदोरिया)
(वर्माना)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


प्रभागीय वनाधिकारी
बस्तीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे० सिविल, कुल 0.404 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नारायणबगड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, प्रराला.....

उपखण्ड प्रराला परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.404 हे० (हे० आरक्षित वन भूमि, 0.404 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.404 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नारायणबगड़) की दिनांक 08/07/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विश्व सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विश्व सिंह नेगी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री अमरेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री विश्व सिंह नेगी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
- 4- श्री हरेन्द्र सिंह विरट बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य
- 5- श्री म.पी. कलावती देवी बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य
- 6- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 0.404 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड~~बराली~~.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.404 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - नारायणबगड़
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - नारायणबगड़
जनपद - चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :- विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.404 हे० सिविल, कुल 0.404 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — तुनेड़ा
तहसील — , जनपद — चसीली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग हेतु (0.404 हे० सिविल, भूमि) अर्थात् कुल 0.404 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तुनेड़ा

द्वारा दिनांक 22/12/2019 को सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तुनेड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



दिनांक 22/02/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तुलसी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	विजय सिंह 5/0 लक्ष्मण सिंह	विजय सिंह
	सुजान सिंह 5/0 गंगा सिंह	सुजान सिंह
	गजपाल सिंह 5/0 धन सिंह	गजपाल सिंह
	दिगम्बर सिंह 5/0 सुरेन्द्र सिंह	दिगम्बर सिंह
	भूपेन्द्र सिंह 5/0 जयवीर सिंह	Dawat
	शैल सिंह 5/0 दिवान सिंह	शैल सिंह
	अतीश कुमार 5/0 लालम सिंह	
	बसन्ती लाल 5/0 विष्णु लाल	

₹0/-

ग्राम प्रधान



Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :- विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.४०४ हे० सिविल, कुल ०.४०४ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रेस

तहसील - , जनपद -

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग हेतु (०.४०४ हे० सिविल, भूमि) अर्थात् कुल ०.४०४ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रेस

द्वारा दिनांक 26/02/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रेस के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव/सहायक अधिकारी
मुहर सहित
विकास खण्ड नारायणबगड़
चोपता


ग्राम प्रधान/सारप्रभ
मुहर सहित


प्रधान ग्राम पंचायत रेस
हो Rajamu
दि०.....

दिनांक 26/3/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायतलोदिया.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गम्मरसिंह डा० अच्युतसिंह	
2-	दीपा देवी डा० मनोहरसिंह	
3-	तेजपाल सिंह डा० वज्रवत्ससिंह	
4-	रामप्रसाद डा० वच्योराम	
5	नन्दराम डा० शिवराम	
6-	प्रकाशचन्द्र डा० इन्दिरा	
7-	सरस्वती देवी डा० राजेशप्रसाद	
8-	सरिता देवी डा० भगवती प्रसाद	
9-	मधुसूदन डा० दयाराम	
10-	सुनील प्रसाद डा० लीलानन्द	
11-	सम्पूर्णानन्द डा० शालोकेश	
12	जगदीश प्रसाद डा० वच्योराम	
13-	रमेश चन्द्र डा० इन्दराम	
14-	राजीवप्रसाद डा० व. शशिधर	
15-	दिनेश चन्द्र डा० कान्तलाल	

